VIII

दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनॉक 12 अगस्त, 1998 को शायं 3 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेस द्वितीय, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005 में हुई आठवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

....

उपस्थित

1.	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि0ज0बो0
4.	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	,, ,,
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, ,, ,,	,, ,,
6.	श्रीमति रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0	,, ,,
7.	श्री आर0सी0 वर्मा, ,, ,,	,, ,,
8.	श्रीमति सुमन स्वरुप, प्रधान सचिव (श0वि0)	पदेन सदस्य
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दि0ज0बो0

दिल्ली जल बोर्ड की दिनॉक 5.8.1998 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों सहित पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किए गए ।

संकल्प संख्या 75

मद संख्या 75 जीवन पार्क ए ब्लाक, अनूप नगर और बिन्दापुर एक्सटैंशन में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

....

इस मद को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया गया कि बोर्ड द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के आधार पर इस कार्य को निष्पादित करने हेतु मामले को दिल्ली नगर निगम को भेज दिया जाए ।

संकल्प संख्या 81 (अ)

मद संख्या 78 नॉगलोई सैय्यद में 40 मि0गै0दै0 क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन से निलोठी अवजल उपचार सांयत्र तक प्रस्तावित प्रस्तर (एलाइनमेंन्ट) के साथ 1200 मि0मी0 व्यास के पी0एस0सी0/एच0एस0 (स्टील सिलैण्डर रिइनफोर्समैन्ट पाइप) जुडवॉ मुख्य पाइप लाइन को बिछाना और जोड़ना।

....

मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वितीय के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/49, दिनॉक 21.7.1998 में दिए गए प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प किया कि नॉगलोई सैय्यद में 40 मि0गै0 दैनिक क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन से निलोठी अवजल उपचार संयंत्र तक प्रस्तावित प्रस्तर (एलाइनमैन्ट) के साथ 1200 मि0मी0 व्यास के पी0 एस0सी0/एच0एस0 (स्टील सिलैन्डर रिइनफोर्सड कंक्रीट पाइप) जुडवॉ मुख्य लाइन को बिछाने

और जोडने के कार्य को रु0 43,29,453.00 की अनुमानित लागत से 14 प्रतिशत अधिक की दर पर रु0 49,35,576.42 की कुल लागत पर मै0 खूब चन्द त्यागी को आबंटित करने की स्वीकृति दी जाती है । बोर्ड ने आगे सांकल्प किया कि विभागीय औचित्यपूर्ण दर की जाँच की जाए और उसे बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

संकल्प संख्या 82

मद संख्या 79 बायोगैस प्रभारों में संशोधन ।

....

राजस्व निदेशक (जल) के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/प्रशा0/98/29, दिनॉक 22.7.98 में वर्णित प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि उपरोक्त वर्णित पत्र में प्रस्तावित बायोगैस प्रभारों में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 83

मद संख्या 81 दिल्ली जल बोर्ड में सहायक आयुक्त (जल)/(भूमि एवं सम्पदा)/उप राजस्व निदेशक (जल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति – विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनॉक 20.4.1998 को संघ लोक सेवा आयोग में हुई थी ।

....

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/प्रशा0/98/30, दिनॉक 27.7.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि श्री के0 एल0 भागर्व और श्री एस0 एन0 मंगला को दिनॉक 20.4.98 अर्थात विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति की तिथि से सहायक आयुक्त (जल)/(भूमि एवं सम्पदा)/उप राजस्व निदेशक (जल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 84

मद संख्या 82: सी ब्लाक जीवन पार्क, उत्तम नगर में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

....

इस प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया गया कि बोर्ड द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार इस मामले को दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता एवं सफाई अभियॉंत्रिक विभाग को इस कार्य को निष्पादित कराने हेतु भेजा जाए । बोर्ड ने यह भी संकल्प किया कि अनधिकृत कालोनियों में आन्तरिक सीवर बिछाने का कार्य केवल दिल्ली नगर निगम द्वारा ही कराया जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड केवल जमा राशि के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य ही निष्पादित करेगा ।

संकल्प संख्या 85

मद संख्या 83 शाहदरा में आर0डी0 210 मी0 से 1950 मी0 तक गीता कालोनी नाले का पुर्ननिर्माण ।

....

इस प्रस्ताव को पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु वापस कर दिया गया ।

मद संख्या 84: केशोपुर में 40 मि0गै0दै0 क्षमता के संयंत्र हेतु "सरफेसएयरोटर्स" के लिए पाँच स्टार्टर्स तथा अन्य विविध मदों सहित वर्टिकल हैलीकल टाइप रिडक्सन गीयर बॉक्सों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा चालू करना ।

....

इस मद को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया । बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्माता से दरों के बारे में बातचीत करने के लिए भी अधिकृत किया और बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा ।

संकल्प संख्या 86

मद संख्या 85 हिन्दू राव अस्पताल के पास स्थित जीतगढ जलाशय की मरम्मत ।

....

मुख्य अभियन्ता (सिविल) तृतीय के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/54, दिनॉक 31.7.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि इस कार्य के लिए रु0 73.33 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति के साथ इस कार्य के भाग (क) को बातचीत के आधार पर तय 17 प्रतिशत अधिक की दर पर रु0 50,97,821.86 की लागत पर तथा भाग (ख) को 28 प्रतिशत अधिक की दर पर रु0 22,34,764.80 की लागत पर अर्थात पूर्ण कार्य को रु0 73,32,586.66 की लागत पर मैसर्स करम सिंह परमार को आबंटित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 87

मद संख्या 86 विभाग द्वारा सीमेन्ट, लोहा, एम0एस0प्लेट, सी0आई0 पाइपों इत्यादि की केन्द्रीयकृत खरीद को बन्द करना ।

.....

मुख्य अभियन्ता (सिविल)।।। के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/55, दिनॉक 31.7.98 दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि विभाग द्वारा वस्तुओं की केन्द्रीयकृत खरीद को बन्द करने, ठेकेदारों को सामान की व्यवस्था स्वयं करने की अनुमति देने और जिन परियोजनाओं का कार्य उन्नति पर है तथा उन कार्यों के लिए जहॉ यह वर्णित किया गया है कि सामान की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी, के लिए सामान की खरीद विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 88

मद संख्या 87 :दिल्ली जल बोर्ड में श्री महेन्द्र सिंह की अधिशासी अभियन्ता (वि0 एवं0 यॉ0) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

....

दिल्ली जल बोर्ड के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/प्रशा0/98/31, दिनॉक 31.7.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि श्री महेन्द्र सिंह की अधिशासी अभियन्ता (वि0 एवं0 यॉ0) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को दिनॉक 1.7.98 से अगले 6 महीने तक जारी रखने अथवा जब तक उनके विरुद्व जॉच कार्यवाही पूरी नही हो जाती और उनके मामले पर निर्णय नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, की स्वीकृति दी जाती है ।

<u>मद संख्या 91</u> इस मद को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया गया कि मुख्य अभियन्ता (सिविल)।। बोर्ड की अगली बैठक में इस कार्य के लिए औचित्यपूर्ण दरों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें ।

<u>संकल्प संख्या 89</u>

मद संख्या 92 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में पेयजल आपूर्ति और अवजल निकांसी की सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता ।

....

मद संख्या 93: तदैव......

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/प्रशा0/98/32, दिनॉक 5.8.98 में दी गई जानकारी तथा पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/60, दिनॉक 12.8.98 में दी गई अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के बाद बोर्ड ने विश्व बैंक के दल के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की । बोर्ड ने यह भी संकल्प किया कि इस परियोजना से जुड़े सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाऐं और उनकी चरित्र पंजिका में भी इसको रखा जाए ।

<u>संकल्प संख्या 90</u>

मद संख्या 94 दिल्ली जल बोर्ड के लिए "नाम चिन्ह" (लोगो) का चयन ।

....

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/61, दिनॉक 12.8.98 के पत्र में वर्णित प्रस्ताव पर विचार करने पर बोर्ड ने संकल्प किया कि श्री पी0जी0 गायकवाड, ई 113, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत "नाम चिन्ह" (लोगो) डिजायन को स्वीकृति दी जाती है ।

<u>संकल्प संख्या 91</u>

मद संख्या 95 पेयजल की बोतलों की व्यवस्था और विपणन ।

.....

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/अभि0/98/61, दिनॉक 12.8.98 में दी गई जानकारी/रिपोर्ट पर बोर्ड ने संकल्प किया कि सिद्वान्त रुप में प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तथा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए ।

बोर्ड ने यह पाया है कि निविदा मामलों को निबटाने में विभिन्न विभागों द्वारा बहुत देरी की जाती है, अतः बोर्ड ने विचार किया कि निविदाऐं खोलते समय सभी सम्बन्धित अधिकारी, जोकि निविदा मामलों को निबटाने के लिए उत्तरदायी हों, एक साथ बैठेंगे और सम्बन्धित मामले का निबटान उसी समय, वहीं पर करेंगे । इससे विकास कार्यो में गति आएगी । एतदर्थ एक विस्तृत प्रस्ताव लाने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए ।

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड

सचिव,
दिल्ली जल बोर्ड ।